उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम) शक्ति भवन, 14—अशोक मार्ग, लखनऊ CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 551 –विनियम एवं का०वि०नी०/पाकालि/२०२०–3–विनियम/17

दिनांक : 01/09/2020

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा—179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल—47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 14/08/2020 को सम्पन्न 159(39)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतदृद्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में अवर अभियन्ता (जानपद) के पद पर संयुक्त वरिष्ठता के आधार पर चयन के माध्यम से प्रोन्नित करते हुए भर्ती किये जाने हेतु 'उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० अवर अभियन्ता (जानपद) सेवा विनियमावली, 2017' के भाग—3 (भर्ती) के विनियम—5 (भर्ती के स्त्रोत) विनियम—6 (पदों का आरक्षण) भाग—6 (प्रोन्नित के माध्यम से भर्ती हेतु प्रक्रिया) के विनियम—16 एवं विनियम—17 (प्रोन्नित हेतु चयन प्रक्रिया) तथा विनियम—9(i) के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट—ए तथा विनियम—19 का उपविनियम—2(c) में संलग्न परिशिष्ट—ब को निम्नानुसार तालिका के स्तम्भ—02 में वर्णित प्राविधानानुसार संशोधित (प्रथम संशोधन) किया जाता है :—

''उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० अवर अभियन्ता (जानपद) सेवा विनियमावली, 2017 (प्रथम संशोधन)''

	१७७ (प्रथम संशाधन)			
वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था			
and the second s	2			
5. Sources of recruitment –	5. Sources of recruitment -			
Recruitment to the cadres of the Service shall be made as follows:	Recruitment to the cadres of the Service shall be made as follows:			
(a) Junior Engineer (Trainee):	(a) By Direct Recruitment:			
 (i) By direct recruitment from Junior Engineer (Trainee) selected with the procedure laid down in part V of these Regulations. 	- By direct recruitment from Junior Enginee (Trainee) selected with the procedure lai down in Part-V of these Regulations 75% (b) By Recruitment through promotion:			
(ii) By promotion in accordance with the procedure laid down in regulations of Part-VI.	(i) By recruitment through promotion in accordance with the procedure laid down in regulation-16(B) of Part-VI 16.67 %			
regioner memorina et legislere et le comment	(ii) By recruitment through promotion in accordance with the procedure laid down in regulation-16(C) of Part-VI 8.33 %			
6. Reservation of Posts-	6. Reservation:			
(1) 40% of the vacancies in the Junior Engineer (Trainee) shall be reserved for such of those to be appointed by promotion who satisfy the requirement of these Regulations.	Reservation in direct recruitment shall be made in accordance with the orders of the State Government in force for such reservation at the time of recruitment and adopted by UPPCL.			

De and

(क्रमशः . . . 2)

(2) Reservation in direct recruitment shall be made in accordance with the orders of the State Government in force for such reservation at the time of recruitment.

Provided that total number of reserved vacancies together with the carried forward vacancies, shall not exceed 45% of the vacancies of that year.

16. Selection for appointment to the Junior Engineer (Trainee) by promotion-

- (2) For purpose of recruitment to the post of Junior Engineer (Trainee) under regulation 5(a) (i) a selection based on merit shall be made from the following:
- (b) Members of Technical grade (2) who have, put in 10 years or more of continuous service including service rendered on work-charges establishment, if they have passed any of the examinations mentioned in Appendix 'A' or 4 years or more of service, if they have passed I.T.I Examination or 5 years or more of service, if they have passed high School Examination or 10 years or more of service, if they have not passed High School Examination.
- (2) The selection shall be based on a written test.
- (3) The names of the candidates who qualify in the written test shall be placed in a list in their order of merit. The merit should be based on the marks obtained in the written test.
- (4) The number of names in the list drawn up under clause (3) shall not exceed the number of vacancies announced at the time of the announcement of the examination by more than 25%.
- (5) The syllabus for the written test shall be laid down by the Electricity Service Commission time to time.
- (6) The Electricity Service Commission will supervise the recruitment process.
- (7) The Electricity Service Commission shall have the power to remove the name of any candidate from the list drawn up under clause (3) if his work or conduct at any time subsequent to the holding of the tests is reported to be such as to render him unfit for promotion.

- 16. Selection for recruitment to the post of Junior Engineerby promotion:-
- (1) For purpose of Recruitment to the post of Junior Engineer under Regulation 5(b), a selection based on Seniority cum merit shall be made among the following:-
- (a) The Employee must be regular on the post of Technician (formerly known as TG-II)
- (b) Employees not having Diploma/Degree Certificate as per Appendix 'A', must have put in, at least 10 years of regular service on the post of Technician (formerly known as TG-II) on Ist July of the recruitment year under 16.67 % quota.
- (c) Employees having Diploma/ Degree Certificate as per Appendix 'A' and has put in, at least 5 years of regular service on the post of Technician (formerly known as TG-II) will be considered for promotion under 8.33 % quota.
- (d) List of employees to be considered for promotion shall be prepared from the combined seniority list of Technician (formerly TG-2) on the basis of seniority, which shall be known as 'zone of consideration'. The list will not be greater than 1.5 times the vacancy.
- (e) The method of selection process shall be decided by the Corporation from time to time.
- (f) The employee against whom any disciplinary proceeding is in progress shall be considered for promotion conditionally. The final selection shall be considered only after finalisation of the disciplinary proceeding. The matter shall be considered on case to case basis, by the Departmental Promotion Committee.
- (2) Appointment of the candidate of any subsequent selection, shall be made only after all the candidates of an earlier selection whose names have been included in the list drawn up earlier, had exhausted.

:\Kavini All\kavini files\Viniyam\3-Viniyam & Kavini-17\Letter.doc Confidential Time - 2:00:59 PM

(क्रमशः . . . 3)

Q.



Provided that nothing in this subregulation shall be deemed to make eligible for promotion a candidate whose name has been removed from the list under regulation 15.

17. Appointment to the Junior Engineer (Trainee) by promotion –

- (3) Appointment to the Junior Engineer (Trainee) by promotion shall be made from the list drawn up under regulation 16(3) in strict order of merit.
- (4) Appointment of the candidate of any subsequent selection shall be made only after all the candidates of an earlier selection whose names have been included in the list drawn up under regulation 16(3) have been promoted.

Provided that nothing in this subregulation shall be deemed to make eligible for promotion a candidate whose name has been removed from the list under clause 16(7). -Removed-

APPENDIX-A

(See Regulation 9)

A candidate for the recruitment as Apprentice Junior Engineer (Civil) must have Passed the:

(1) Three years Diploma in Civil Engineering awarded by Pravidhik Shiksha Parishad, Uttar Pradesh Or a Diploma Equivalent there to be recognized by the State Government.

Note: Diploma received through Distance Learning Education will not be eligible.

APPENDIX-A

(See Regulation 9)

A candidate for the recruitment as Apprentice Junior Engineer (Civil) must have Passed the:

(1) Three years Diploma in Civil Engineering awarded by Pravidhik Shiksha Parishad, Uttar Pradesh Or a Diploma Equivalent there to and recognized by the State Government or from any other Institution incorporated by an Act of the Central/State Legislature.

OR

Three years All India Diploma Examination in Civil Engineering conducted by All India Council for Technical Education (AICTE), Govt. of India.

OR

(2) 4 year Degree in Civil Engineering awarded by the State/Central University or institution established by law in Uttar Pradesh or from any other Institution incorporated by an Act of the Central/State Legislature.

Note: Diploma/Degree received through Distance Learning Education will not be eligible.

(क्रमश: . . . 4)

2

F:\Xavini All\kavini files\Viniyam\3-Viniyam & Kavini-17\Letter.doc Confidential Time - 2:05:45 PM

Red Block

APPENDIX 'B'

(See Sub-regulation 2 (c) of Regulation 19) FORM OF DECLARATION APPENDIX 'B'

(See Sub-regulation 2 (c) of Regulation 19) FORM OF PROPERTY DECLARATION (as Order no.

1268-स0प्र0-11 / पाकालि / 17-16-एस0ए० / 11 दिनांक 22.04.2017, **(संलग्नक-क)**

- अवर अभियन्ता (जानपद) के पद पर, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं विभिन्न डिस्कॉमों में आमेलित हो चुके तकनीशियनों की "संयुक्त विष्ठता सूची" के आधार पर विभागीय प्रोन्नित हेतु चयन प्रक्रिया एवं मापदण्ड कारपोरेशन द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- 3. उपरोक्तानुसार कारपोरेशन आदेश सं० 50—विनियम एवं काविनी / पाकालि / 2018—3—विनियम / 2017 दिनांक 25.01.2018 के माध्यम से निर्गत 'उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० अवर अभियन्ता (जानपद) सेवा विनियमावली, 2017' उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी एवं अन्य समस्त प्राविधान यथावत् रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

सं० 551-(1)-विनियम एवं का०वि०नी०-29/पाकालि/2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित :--

1- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।

4- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रांसिमशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।

- 5- प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
- 6- समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

<u>र</u> मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

- 8- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 9- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर—1 एवं स्तर—2), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० / उ०प्र० पावर ट्रांसिमशन पावर कारपोरेशन लि० |
- 10- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० / उ०प्र० पावर ट्रांसिमशन पावर कारपोरेशन लि० ।

11- महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

- 12- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० / उ०प्र० पावर ट्रांसिमशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 13- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० / उ०प्र० पावर ट्रांसिमशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 14- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पा०का०लि० / उ०प्र० पा०ट्रां०का० लि०।
- 15- समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० मुख्यालय, शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 16- कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 14.08.2020 को सम्पन्न 159(39)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के कार्यवृत्त के अनुपालन में।
- 17- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं० 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेत्।

अनु सचिव (का०वि०नी० एवं विनियम)

:\Kavini All\kavini files\Viniyam\3-Viniyam & Kavini-17\Letter.doc Confidential Time - 2:06:38 PM

W.

परिशिष्ट "क"

चल/अचल सम्पत्ति सम्बन्धी घोषणा पत्र

(वा) उनके लिए जिनके पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है।

में एतद्द्वारा घोषण करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। यदि में एतद् पश्चात् कोई अचल सम्पत्ति धारण करता/करती हूँ तो अपनी तत्सम्बन्धित अवधि की घोषणा में करुंगः/करुंगी।

इस्ताक्षर ''''	
पूरा नाम """""	
ूर्य ≭	
दिनांक """""	

(ফ) उनके लिए जिनके पास अचल सम्पत्ति है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैं निम्न प्रकार की अचल सम्पत्ति का स्वामी: / की रवामिनी

नेपार्ट

भूमि सम्पदा

सम्पत्ति जहाँ है।		क्षेत्र	अर्जित या पैतृक यदि अर्जित	वार्षिक	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी	
जनपद	तहसील	ग्राम	क्षेत्र एकड़ में	क्षेत्र अर्जित या पैतृक यदि अर्जित की गई है तो उसके अर्जन का दिनांक		मूल्स्।	10-4-11
1	2	3	4	5	6	7	8

गृह सम्पदा

	गृह जहाँ स्थित है।		अर्जित या पैतृक यदि अर्जित की प्रयोग कर रहे हैं या			अनुमानित मूल्य	टिप्पणी	
क्र0 सं0	ग्राम नगर उप नगर	जनपद	गृह संख्या	गई है तो उनके अर्जन का दिनांक	किराये पर दिया है ?	किराया	मूल्य	,,,,,,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	i.							



यदि मैं भविष्य में कोई अन्य अचल सम्पत्ति अर्जित करता / करती हूँ तो इस तथ्य को उपर्युक्त प्रपः में सम्पत्ति अर्जित के दिनांक को जानकारी पाने के दिनांक सं एक मास के भीतर घोषित कर दूंगा / दूंगी ।

हस्ताक्षर	amininini		no-ma	
पूरा नाभ		,,,,,,,,,,		
पद् * ः				
दिनांक '		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		

टिप्पणी:—अवल सम्पत्ति में ऐसा भवन व भूमि सम्पदा जो बंधक व पट्टे के रूप में अधिकारी / कर्मचारी या उसकी पत्नी / उसके पति या उसकी ओर से उसके कुटूम्ब का कोई सदस्य जो उसके साथ संयुक्त हो या साथ रहता हो या किसी प्रकार उस पर अभ्रित हो, द्वारा धारित या प्रतिबन्धित हो तो इस घोषणा के प्रयोजनार्थ अधिकारी द्वारा ही धारित या प्रविधत की गई समझी जाएगी।

(ग) जनके लिए जिनके पास कोई हिस्से (Shares) या जमा पूंजी (Investment) नहीं है।

में एतद्द्वारा घोषण करता/करती हूँ कि मैं किसी तिस्से (Shares) या जमा पूंजी (Investment) का स्वामी/की स्वामिनी नहीं है। यदि एनद्पश्चात् में कोई हिस्से अर्जित करूंगा/करूंगी या जमा पूंजी लगाऊंगा/लगाऊंगी तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित अवधि की घोषणा में कर दूंगा/दूंगी।

हस्ताक्षर ''''	
पूरा नाम """""""	
पद 🕈	m-anana
दिनांक '''''	ajionian

(घ) उनके लिए जो हिस्से (Shares) के स्वामी / स्वाभिनी है या किसी अन्य जमा पूंजी (Investment) है।

मैं एतद्द्वारा घोषित करता / करती हूँ कि मैं निम्निशिखन हिस्से व जमा पूंजी रखता / रखती हूँ :-हिस्से (Shares)

क्र0 सं0	विवरण	अर्जित करने का दिनांक	प्रत्येक हिस्से का मूल्य	धारित हिस्सों की संख्या	हिस्सों का मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
		2				
				e d		
				v 5 Post va		
				a project of the		



5

(3)

जमा पूंजी (Investment)

क्रoरio	विदरण	पूंजी लगाने की तिथि	मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5

यदि मैं आगे और हिस्से अर्जित करूंगा/करूंगी या अन्य कही पूंजी लगाऊंगा/लगाऊंगी तो मैं इस तथा की घोषणा सम्बन्धित घोषणा में कर दूंगा/दूंगी।

0	2	A	ر

	L	11	1
_	-	N	1
1		N	1
			0

हस्ताक्षर			
पूरा नाम	 	,,,,,,,,,,	 nama
पद ४.			
दिनांक	 		 ,,,,,,,,,